

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बनाम

मु. सं.

उपखण्ड ऑफिस

तारीख हुक्म

05.03.25

आज पत्रावली पेश हुई वकील  
वादी व वादी को रुक-रुक कर कोर्ट  
आवाज दिलायी गयी किन्तु कोर्ट भी उपस्थित  
नही हुआ ऐसी स्थिति में यह उतीत होना  
है कि वादी अपने वाद पत्र के उति गंभीर  
नही हैं और वादी अपने वाद का चलाया  
नही चाहता है।

अतः वादी का वाद पत्र  
वादी व वकील वादी की अदत दायरी व  
अदत पेशी में स्वारिय किया जाता है पत्रावली  
फैसल सुनाने के बाद तत्काल दारखिल  
दफतर हो।

आदेश सुनाया गया

*Mark*

उपखण्ड अधिकारी  
महवा जिला दौरा

